न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2649–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–8–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 600/12–13/अपील.

शंकर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
निवासी ग्राम हरिपुर चांदपुर
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती गुड्डी बाई बेवा हाकिम सिंह
2– केदार सिंह पुत्र स्व. हाकिम सिंह
3– मायाराम पुत्र स्व. हाकिम सिंह
4– सत्येन्द्र सिंह पुत्र स्व. हाकिम सिंह
निवासीगण ग्राम मगरौरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
5– मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 4
श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदक क. 5

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 9/2012–13/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 20–11–12 के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 19–6–13 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी,

इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया, साथ ही अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति हेतु भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 600/12–13/अपील दर्ज कर दिनांक 12–8–15 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपाते हुए कलेक्टर के आदेश की जानकारी 14–5–2013 को पटवारी से होने का उल्लेख किया गया है, जबकि अनावेदकगण के पूर्वज भूमिस्वामी हाकिम सिंह की मृत्यु दिनांक 28–12–2012 को होने पर उनका फौती नामान्तरण दिनांक 22–1–2013 को हुआ है । अतः स्पष्ट है कि अनावेदकगण को कलेक्टर के आदेश की जानकारी फौती नामान्तरण की कार्यवाही के पूर्व से थी ।

(2) अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 27–8–2012 को पटवारी एवं ग्राम के पंचों के समक्ष सर्वे कमांक 616 के नवीन सर्वे कमांक 1316 एवं 1318 की बटांकन करते हुए नक्शे के बन्दोबस्त के पूर्व की स्थिति व कब्जा अनुसार दुरूस्त किया गया है, और पंचनामा भी बनाया गया है, जिसमें अनावेदकगण के पूर्वज स्व. हाकिम सिंह द्वारा हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी गई है।

(3) अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि कलेक्टर के समक्ष चले प्रकरण में अनावेदकगण के पूर्वज स्व. हाकिम सिंह भूमिस्वामी था, और उसके द्वारा सहमति दी गई है, इसलिए अनावेदकगण को पक्षकार बनाने का कोई कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोष पर तर्क सुने गये थे, किन्तु उनके द्वारा मात्र म्याद के बिन्दु पर तथा पक्षकार के असंयोजन के आधार पर आदेश पारित किया है, गुण–दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि अनावेदकगण द्वारा पक्षकार बनने की हैसियत का कोई सारवान तथ्य सिद्ध नहीं कर सके हैं ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जांच प्रतिवेदन में अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 1316 का स्पष्ट उल्लेख है, किन्तु उन्हें सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, और कलेक्टर द्वारा बिना साक्ष्य के अनावेदकगण के स्वत्व की भूमि के नक्शे में परिवर्तन कर दिया गया है । यह भी कहा गया कि चूंकि कलेक्टर द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है, इसलिए उन्हें कलेक्टर के वादग्रस्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अभी प्रकरण में गुण–दोष पर निर्णय लिया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में मृतक भूमिस्वामी अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के पिता हाकिम सिंह को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर पारित आदेश दिनांक 12–8–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर